

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 30 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-151/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 12.03.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत निम्न विवरण एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू० 32.00 लाख (रूपये बत्तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	को-आर्डिनेटर का नाम	विषय	विभाग का नाम	संस्तुत की गयी धनराशि (रूपया)	
					अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा० आर०के० शुक्ला	"Synthesis and Characterization of Carbon Nano-Tubes based Carbon dioxide Gas Sensor."	भौतिक विज्ञान	300000.00	रूपये तीन लाख मात्र
2	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा० ओंकार नाथ उपाध्याय	The Centre of Indian Diaspora and Cultural Studies (CIDCS), with special focus on Indian Diaspora especially Hindu Diaspora across the world is envisioned in line with the strong and dedicated commitment of Lucknow University to engage inequality research and academic pursuits for creating a holistic environment.	अंग्रेजी	200000.00	रूपये दो लाख मात्र
3	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा० संजीव कुमार	"Sources of Agricultural Growth in Uttar Pradesh: Role of Diversification for Enhancing farmers Income."	अर्थशास्त्र	300000.00	रूपये तीन लाख मात्र
4	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा० प्रयाग नारायण मिश्रा	संस्कृतवाङ्मय में उद्योग तथा कौशल विकास (आत्मनिर्भर भारत के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में)	संस्कृत	300000.00	रूपये तीन लाख मात्र
5	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	प्र० डा० राकेश कुमार सिंह	"Settlement of Matrimonial Disputes Through Altrnative Mehods of Justice Delivery in Uttar Pradesh with Special Reference to Womens Right of Divorce".	विधि	300000.00	रूपये तीन लाख मात्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा0 अशोक कुमार	"Irrigation Water Management for Sustainable Agriculture Development in Uttar Pradesh Through Statistical Models".	सांख्यिकी	300000.00	रूपये तीन लाख मात्र
7	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	प्रो0 पूर्णिमा वाजपेयी	"Sustainable agriculture for COVID-19 migrant labours: Replacement of conventional crops by essential oil yielding crops for better livelihood".	वनस्पति विज्ञान	500000.00	रूपये पाँच लाख मात्र
8	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	प्रो0 एस0 पी0 त्रिवेदी	"Molecular Bio-monitoring of some heavy metals in river Gomti, Lucknow".	जन्तु विज्ञान	500000.00	रूपये पाँच लाख मात्र
9	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा0 करुणा शंकर कन्नौजिया	"Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) : A Tool for Sustainable Livelihood and Gainful Employment after Covid-19".	अर्थशास्त्र	200000.00	रूपये दो लाख मात्र
10	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	डा0 केया पाण्डेय	"Ethnographic and Archaeological study of painted art forms: Anthropological initiative towards making tribal and rock art atlas of Uttar Pradesh".	एन्थ्रोपोलाजी	300000.00	रूपये तीन लाख मात्र
				कुल योग-	3200000.00	रूपये बत्तीस लाख मात्र

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-396/दस-2021 दिनांक 30/03/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।